UPMI010042372025

न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1689 सन् 2025

1. देव सहायम डेनियाल राज पुत्र देव पिचैया, सा0टी0एन0 पुडुकड़ी, थाना–पुलियन मुडी, जिला–टेनकासी (तमिलनाडु)
2. पारस पुत्र स्व0 कल्लू, साकिन–अनगढ़ रोड, पुरानी दशमी, थाना–कोतवाली कटरा, जिला–मीरजापुर,
3. ओम प्रकाश पुत्र स्व0 लाल बहादुर, साकिन–रजौली, थाना–अदलहाट, जिला मीरजापुर,
4. राम सेवक पुत्र रामजीत, साकिन–करवदिया, थाना–चकिया, जिला–चन्दौली।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अ0सं0–**230** सन् **2025**
धारा–3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम
थाना–अहरौरा, जिला–मीरजापुर।

अभियुक्तगण की ओर से–श्री मुश्ताक अहमद व श्री यासिर मुश्ताक (अधिवक्तागण)
अभियोजन की ओर से–श्री आलोक कुमार राय, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)

दिनांकः 30.10.2025

1. यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण देव सहायम डेनियाल राज, पारस, ओम प्रकाश एवं राम सेवक की ओर से मु0अ0सं0–230 सन् 2025 अन्तर्गत धारा–3/5(1) उ0प्र0 विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना–अहरौरा, जिला–मीरजापुर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र तथा अपने तर्क में कथन किया गया है कि–

- प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमें में फर्जी रंजीशनवश फंसाया गया है।
- अभियोजन कथानक बिलकुल गलत व बनावटी तथ्यों पर आधारित है।
- प्रार्थीगण द्वारा किसी तरह का धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं किया गया है, न ही किसी तरह की लालच देने का कार्य धर्म परिवर्तन करने के लिए दिया गया है, न ही किसी तरह की धर्म परिवर्तन के सभागृह बरामद हुयी है।
- प्रार्थीगण का कोई इस तरह और किसी भी तरह का आपराधिक इतिहास नहीं है।
- प्रार्थीगण दिनांक 30.09.2025 से जिला कारागार, मीरजापुर में निरूद्ध हैं।
- तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत पर रिहा किये

जाने की याचना की गयी है।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा एवं अन्य को प्रलोभन व लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाय।

4. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थनापत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध केस–डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. पुलिस प्रपत्र में अभियोजन कथन संक्षेप में यह है कि वादी मुकदमा इन्द्रासन द्वारा दिनांक 28.09.2025 को थाना–अहरौरा, मीरजापुर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि दिनांक 28.09.2025 को समय लगभग 12.30 बजे सरिया चक जाता चर्च से सूचना प्राप्त हुयी कि देव–सहायम डैनियल राज पादरी साहब बुलाए हैं, जिस पर वह दोपहर में चर्च पहुंचा, तो देखा कि हिन्दू धर्म के मानने वाले कुछ लोग चर्च के अन्दर बैठे थे। उन्हीं के बीच में वह भी जाकर बैठ गया। वहॉ पर विभिन्न गांव के लोग बैठे थे। पादरी डनियल राज के साथ एक व्यक्ति और जिसका नाम मिथिलेश कुमार है, जो प्रोग्राम में सहयोग कर रहा था। प्रोग्राम के दौरान यह बताया जा रहा था कि ईसाई धर्म स्वीकार करने पर आपको पैसे मिलेंगे, बच्चों के पढ़ाई–लिखाई, शादी–विवाह, चिकित्सा आदि में आपको लाभ प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बैठे हुए गरीब हिन्दू ही दिखाई दे रहे थे। प्रार्थी को भी प्रलोभन, लालच दिये गये और करीब वहॉ मौजूद 15–20 लोग मौजूद थे, उन सबसे कहा कि आज सबको प्रभु ईशु की शरण में ले जाना चाहता हूॅ। आप सब को पवित्र जल में स्नान कराकर ईसाई धर्म में ले जाऊॅगा। प्रभु ईशु की कृपा की वर्षा होगी और सारे दुख–दर्द प्रभु ईशु हर लेंगे तथा धन की वर्षा होने लगेगी। जो इस धर्म को नहीं अपनाएगा, उसका अनिष्ट हो जायेगा। सब लोगों को पवित्र स्नान कराने के लिए ले जाने लगे, तो वह मौका पाकर भाग आया तथा सूचना दे रहा है।

6. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को मुख्य रूप से वादी मुकदमा एवं अन्य को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में संपरिवर्तन करने के प्रयास का अभियोग लगाया गया है।

7. केस डायरी के पर्चा नं0–1 में अंकित बयान में वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्तर्निहित तथ्यों का समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि पादरी डेनियल व मिथिलेश सभा प्रार्थना के बीच–बीच में हम सभी से प्रभु ईशु के चमत्कारों की कहानियां बताते हुए जिन लोगों ने अपना धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपनाया है, उनका महिमा मण्डल कर उन्हें

नौकरी, वेतन आदि के बारे में बताते हुए उस बेरोजगार को धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

8. केस डायरी में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ओम प्रकाश, राम सेवक एवं पारस प्रचारक के रूप में दर्शित है।

9. अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त देवसहायम डेनियल राज के विरूद्ध प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त तीन अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जो विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन से सम्बन्धित हैं।

10. इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध **धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा–7(2)** का उद्धरण भी समीचीन प्रतीत होता है, जो यह उपबन्ध करती है कि –

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–

(क) इस अधिनियम को, ऐसे छोड़े जाने के लिए जमानत के आवेदन का विरोध करने हेतु अवसर न प्रदान कर दिया जाये, और

(ख) जहॉ लोक अभियोजक जमानत के आवेदन का विरोध करता है, वहीं सत्र न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि यह विश्वास करने के युक्ति–युक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना सम्भाव्य नहीं है।

11. उपरोक्त प्रावधान के अनुरूप न्यायालय को ऐसा कोई समाधान प्राप्त नहीं है, जो न्यायालय को यह विश्वास करने का कोई युक्ति–युक्त आधार प्रदान करता हो, कि अभियुक्तगण अभिकथित अपराध के दोषी नहीं हैं एवं जमानत पर रहने के दौरान उनके द्वारा कोई अपराध किया जाना सम्भाव्य नहीं है।

12. तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण देव सहायम डेनियाल राज, पारस, ओम प्रकाश एवं राम सेवक द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–**30.10.2025**

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
मीरजापुर।